पत्र की प्रमाणित प्रति, सम्बद्धता आदेश की छायाप्रति, भूमि के सम्बन्ध में बैनामा, धारा 143 एवं खतौनी की प्रति तथा संस्था प्रबन्धक/सचिव का शपथ पत्र उपलब्ध कराते हुए प्रश्नगत संस्था को अल्पसंख्यक संस्था मान्य किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4— उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, प्लाट नं0 705, 706, 707, 768 इदगाह सरधना जनपद—मेरठ को शासनादेश संख्या—2805/15—11—2016 दिनांक 14.10.2016 द्वारा बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016—17 से दो यूनिट (100 सीट) के लिए सम्बद्धता प्रदान की जा चुकी है।

5— उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग द्वारा निर्गत कार्यवृत्त संख्या— 3001/52—3—2014 दिनांक 25.11.2010 के बिन्दु—03 में यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार द्वारा "दि नेशनल कमीशन फार माइनारिटी एजूकेशनल इस्टीट्यूशन एक्ट, 2004 के अन्तर्गत गठित एक स्टेच्युटरी बॉडी (Staturory Body) है, इस कारण उसके द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्रों को मान्य किया जाना आवश्यक है। अतः अशासकीय मान्यता प्राप्त ऐसी शिक्षण संस्थाओं को जिन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली द्वारा अल्पसंख्यक संस्था घोषित कर दिया गया है, उसे अल्पसंख्यक संस्था के रूप में शिक्षा विभाग द्वारा ट्रीट (Treat) किया जाय उक्त के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे निजी शैक्षणिक संस्थाओं को, जिन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग द्वारा अल्पसंख्यक संस्था घोषित करते हुए अल्पसंख्यक संस्था का प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) निर्गत किया जा चुका है तथा संस्था द्वारा बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए नियमानुसार एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार से सम्बद्धता प्राप्त कर चुकी है। ऐसी स्थिति में निजी संस्था को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली द्वारा घोषित अल्पसंख्यक संस्था एवं तद्नुरूप निर्गत प्रमाण—पत्र के अनुक्रम में अल्पसंख्यक संस्था ट्रीट करने के आदेश शासन स्तर से निर्गत किये जाते है। इसके परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक संस्था द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के समादर में निर्गत किये गये संशोधन—विज्ञप्ति संख्या—653/15—11—2015 दिनांक 10 जून, 2015 तथा रिट याचिका संख्या—60387/2016 शमा परवीन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 02 अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.02.2017 के समादर में निर्गत शासनादेश संख्या—612/15—11—2017 दिनांक 25.05.2017 में निहित व्यवस्थानुसार एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा आवंटित सीटों के सापेक्ष मात्र 50 प्रतिशत सीटों पर बी0टी0सी0/डी0एल0एड0 प्रशिक्षण में प्रवेश/चयन की कार्यवाही स्वयं की जायेगी।

6— प्रश्नगत इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, प्लाट नं0 705, 706, 707, 768 इदगाह सरधना जनपद—मेरठ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अल्पसंख्यक संस्थानों की सूची के क्रमांक 5740, केस संख्या—1248/2011 में अल्पसंख्यक संस्था के रूप में दर्ज है।

7— याची के प्रत्यावेदन दिनांक 20.09.2017 तथा इस सम्बन्ध में निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 तथा सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा